

फर्द अहकाम
(नियम-26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)
श्री अशोक कुमार जाट पिता रामनारायण जाट गांव सहनवा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
बनाम

सचिव ग्राम पंचायत सहनवा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा
किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
प्रकरण संख्या 10/2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
14-01-2019	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री अशोक कुमार जाट निवासी सहनवा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत सहनवा के यहां दिनांक 11.09.2018 को प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पर सचिव, ग्राम पंचायत सहनवा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र से ग्राम पंचायत, सहनवा से संबंधित सूचनायें चाही गईं। ग्राम पंचायत के लोक सूचना अधिकारी सचिव, ग्राम पंचायत सहनवा तथा अपीलीय अधिकारी विकास अधिकारी, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ हैं।</p> <p>यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। सचिव ग्राम पंचायत, सहनवा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं।</p> <p>चूंकि सचिव, ग्राम पंचायत, सहनवा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिससे प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नहीं की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ के यहां अपील प्रस्तुत करने तथा अपीलीय प्राधिकारी (विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़) द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।</p>	<p>म.जी. 14-1-19</p>

